

**बी.एड. एवं डी.एल.एड. (2021-22) के प्रवेश से संबंधित सूचना**

**A. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की संशोधित तिथि (संभावित)**

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बी.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 19/09/2021 को तय हुआ है। बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है -

- प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि - 13 सितम्बर 2021
- प्री बी.एड. एवं प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा - 19 सितम्बर 2021 (संभावित)
- मॉडल उत्तर जारी करने एवं दावा आपत्ति - 20 सितम्बर 2021 (संभावित)
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि तक) - 23 सितम्बर 2021 (शाम 04 बजे)

नोट: 1. दावा-आपत्ति आवेदन एवं प्रमाण के साथ ही **email pssouonline@gmail.com** के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

- दावा आपत्ति का परिक्षण पश्चात् निराकरण - 25 सितम्बर 2021
- परीक्षा परिणाम घोषणा (संभावित) - 01 अक्टूबर 2021
- परिणाम संबंधी दावा आपत्ति तिथि - 01 से 03 अक्टूबर 2021
- दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची - 08 अक्टूबर 2021
- बी.एड. वर्गवार चयन सूची एवं सीट आबंटन सूची - 13 अक्टूबर 2021
- बी.एड. में चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन (वि.वि. द्वारा जारी अध्ययन केन्द्र वार तिथि अनुसार विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं प्रवेश होगा ) - 18 से 29 अक्टूबर 2021
- स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी (संभावित) - 02 नवम्बर 2021
- प्रथम प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं प्रवेश - 08 से 12 नवम्बर 2021
- स्थान रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी (संभावित) - 15 नवम्बर 2021
- द्वितीय प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं प्रवेश - 16 से 18 नवम्बर 2021

नोट: 2. द्वितीय परीक्षा सूची उपरांत स्थान रिक्त रहने की स्थिति में वि.वि. वेबसाइट पर आगामी सूचना दी जावेगी जिस हेतु विद्यार्थी वि.वि. की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश एवं प्रमाण पत्र सत्यापन तिथि अवधि के मध्य में पड़ने वाले शासकीय एवं कार्यालयीन अवकाश दिवस में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में भरे गये जाति विवरण में त्रुटी होने की स्थिति में सुधार हेतु ऑन-लाईन आवेदन **email pssouonline@gmail.com** के माध्यम से ही दिनांक 18/09/2021 शाम 05 बजे तक लिये जायेंगे।
3. प्रवेश लेने हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी जब केन्द्रों में आये तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर लाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रारूप संलग्न है

## B. डी. एल. एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की संशोधित तिथि (संभावित)

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय डी.एल.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 19/09/2021 को तय हुआ है। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार है -

- प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि - 13 सितम्बर 2021
- प्री बी.एड. एवं प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा - 19 सितम्बर 2021(संभावित)
- मॉडल उत्तर जारी करने एवं दावा आपत्ति - 20 सितम्बर 2021(संभावित)
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि तक) - 23 सितम्बर 2021 (शाम 04 बजे)

नोट: 1. दावा-आपत्ति आवेदन एवं प्रमाण के साथ ही [email pssouonline@gmail.com](mailto:pssouonline@gmail.com) के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

- दावा आपत्ति का परिक्षण पश्चात् निराकरण - 25 सितम्बर 2021
- परीक्षा परिणाम घोषणा (संभावित) - 01 अक्टूबर 2021
- परिणाम संबंधी दावा आपत्ति तिथि - 01 से 03 अक्टूबर 2021
- दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची - 08 अक्टूबर 2021
- डी.एल.एड. वर्गवार चयन सूची एवं सीट आबंटन सूची - 25 अक्टूबर 2021
- डी.एल.एड. में चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन 2021 - 26 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2021

नोट: 2. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं प्रवेश वि.वि. द्वारा उनको आबंटीत अध्ययन केन्द्र में ही निर्धारित तिथि के भीतर होगा

- स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी (संभावित) - 20/11/2021
- प्रथम प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं प्रवेश - 22 से 27 नवम्बर 2021

नोट: 3. स्थान रिक्त रहने की स्थिति में वि.वि. वेबसाइट में आगामी सूचना दी जावेगी जिस हेतु अभ्यर्थी वि.वि. की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें।

महत्वपूर्ण निर्देश -

1. विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश एवं प्रमाण पत्र सत्यापन तिथि अवधि के मध्य में पड़ने वाले शासकीय एवं कार्यालयीन अवकाश दिवस में प्रवेश प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में भरे गये जाति विवरण में त्रुटी होने की स्थिति में सुधार हेतु ऑन-लाईन आवेदन [email pssouonline@gmail.com](mailto:pssouonline@gmail.com) के माध्यम से ही दिनांक 18/09/2021 शाम 05 बजे तक लिये जायेंगे।
3. प्रवेश लेने हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी जब केन्द्रों में आये तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर लाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रारूप संलग्न है।

C 1. बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के अध्ययन केन्द्रों की सूची।

बी.एड. अध्ययन केन्द्र:-

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम
1.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.), विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर
2.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर
3.	आदर्श महाविद्यालय, दतरेगा रायपुर
4.	शा. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर
5.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
6.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई
7.	रॉयल महाविद्यालय, राजनांदगांव
8.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, नैला-जॉजगीर
9.	श्री वेदमाता शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर

डी.एल.एड. अध्ययन केन्द्र:-

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम
1.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.), विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर
2.	शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर
4.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा
6.	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा
7.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, नैला-जॉजगीर
8.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजगीर
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
11.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
12.	महात्मा गांधी महाविद्यालय, रायपुर
13.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई
14.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई
15.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी
16.	रॉयल महाविद्यालय, राजनांदगांव
17.	शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़
19.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
20.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
21.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर
22.	होलीकास बी. टी. आई. पत्थलगांव
23.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैकुण्ठपुर
24.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर
25.	समाधान महाविद्यालय बेमेतरा
26.	जे. व्ही. जी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रायगढ़

C 2 . डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के उन सत्यापन केन्द्रों के नाम जहाँ सत्यापन अपडेट होगा तथा सीट मिलने पर चालान अपडेट होकर प्रवेश की पावती मिलेगी।

C 3 . बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र –

महत्वपूर्ण सूचना –

- उल्लेखनीय है कि बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं प्रमाण पत्र सत्यापन की समस्त प्रक्रिया विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में ही सम्पन्न की जावेगी अतः बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों का निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में ही उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

C 4 . डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र की सूची निम्नानुसार

है –

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम	पाठ्यक्रम
1	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.),(महामाया परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन कक्ष क्र. 07 एवं 08) विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर	बी.एड. एवं डी.एल.एड.
2	शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	डी.एल.एड.
3	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	डी.एल.एड.
4	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सरखों रोड,जांजगीर	डी.एल.एड.
5	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जांजगीर	डी.एल.एड.
6	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	डी.एल.एड.
7	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	डी.एल.एड.
8	महात्मा गांधी महाविद्यालय, रायपुर	डी.एल.एड.
9	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	डी.एल.एड.
10	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	डी.एल.एड.
11	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	डी.एल.एड.
12	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई	डी.एल.एड.
13	जे. व्ही. जी. कालेज ऑफ एजुकेशन, रायगढ़	डी.एल.एड.
14	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	डी.एल.एड.
15	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी	डी.एल.एड.
16	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	डी.एल.एड.
17	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	डी.एल.एड.
18	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाषनगर, अम्बिकापुर	डी.एल.एड.
19	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	डी.एल.एड.
20	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैकुण्ठपुर	डी.एल.एड.
21	होलीक्रास बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, पत्थलगांव	डी.एल.एड.
22	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कांगोली, जगदलपुर	डी.एल.एड.
23	समाधान कालेज, बेमैतरा	डी.एल.एड.
24	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा	डी.एल.एड.
25	रॉयल महाविद्यालय, राजनांदगांव	डी.एल.एड.

महत्वपूर्ण सूचना –

- उपरोक्त उल्लेखित केन्द्रों में से ही केन्द्र में अभ्यर्थी के सत्यापित प्रमाण-पत्र का अपडेट एवं चालान अपडेट की सुविधा उपलब्ध है।

**D - अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -**

1. स्थान रिक्त रहने तक ही मैरिट क्रम से अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
2. प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात कार्यक्रम शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर अपडेट कराने पर ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी।
3. निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र/ सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मैरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी। एक बार जिनको सीट आबंटित हो चुकी एवं उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे छात्र काउंसिलिंग की आगामी किसी भी चरण की प्रक्रिया में (फेस-टू-फेस में भी) शामिल नहीं हो सकेंगे।
3. बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग "छत्तीसगढ़ शासन" के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।  
डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग "छत्तीसगढ़ शासन" के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
4. आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता परीक्षा (स्नातक/12<sup>th</sup>) की अंक में आरक्षित वर्ग के तहत छूट प्राप्त की है। उन्हें सिर्फ उनके आरक्षित वर्ग की श्रेणी में प्रवेश प्राप्त करने की पात्रता उनके मैरिट क्रम अनुसार होगी।
5. (क) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ उनके द्वारा प्रवेश फार्म में किये गये उल्लेख के आधार पर ही मिलेगा।  
(ख) किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश फार्म में किये उल्लेख के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।  
(ग) सभी वर्ग में महिला संवर्ग के तहत चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन मैरिट क्रम में न होकर महिला संवर्ग के तहत हुआ हो और उस वर्ग में महिला संवर्ग की सीट पूर्ण हो गई हो तो महिला के स्थान पर अधिक प्राप्तांक वाले पुरुषों का चयन मैरिट क्रम से किया जावेगा।  
(घ) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. वर्ग (Category) से तात्पर्य है - अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।
7. संवर्ग (Class) से तात्पर्य है - महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Frighdom Fighter or FF), भूतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S)।

8. ऐसे अभ्यर्थी जो सर्वग के तहत प्रवेश पाने की पत्रता रखते हो महिला सर्वग को छोड़कर उन्हे अपने सर्वग संबंधी प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कराकर प्रस्तुत करना होगा तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम जारीकर्ता अधिकारी द्वारा जारी वैध तिथि के साथ जमा करना होगा वैध तिथि नही होने या तिथि के समाप्ति वाले प्रमाण पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे और ऐसे अभ्यर्थी दिव्यांग सर्वग की श्रेणी मे प्रवेश की पत्रता नही रख पायेगे।
9. चांस/प्रतिक्षा से तात्पर्य है - उन अभ्यर्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नही हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यर्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नही हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यर्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा।
10. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेवें )
11. अध्ययन केन्द्र चयन करने हेतु एक से लेकर अंतिम तक का इच्छित क्रम अनिवार्यतः डालें। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को मेरिट क्रम तथा अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी को एक महाविद्यालय में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा। एक बार काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन फार्म में सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नही होगा।
12. प्रमाण-पत्र सत्यापन / Document Verification हेतु आगामी पृष्ठों में दी गई सूची के अनुसार प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा एक सत्यापित छाया प्रतियों को साथ लेकर वि.वि. द्वारा निर्धारित सत्यापन हेतु सत्यापन केन्द्र स्थलों में से किसी भी अपने निकटतम सत्यापन केन्द्र में जाकर सत्यापन कराये। सत्यापन केन्द्रों की सूची पृष्ठ क्र. -06 में दी गई है। केवल प्रमाण-पत्र सत्यापन कराने से आपके सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी सत्यापन को ऑनलाइन अपडेट कराना भी अनिवार्य है। Document Verification की प्रिंटेड पावती अवश्य प्राप्त करें। जिसे अभ्यर्थी को आबंटित अध्ययन केन्द्र में जमा करना अनिवार्य है।
13. सत्यापन के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क को आगामी पृष्ठों में दिये गये चालान फॉर्म के माध्यम से बैंक में जमा कराये। साथ ही बैंक चालान की पावती आबंटित अध्ययन केन्द्र में अनिवार्यतः अपडेट कराये। ध्यान रहें कि अभ्यर्थी के द्वारा शुल्क बैंक में जमा करा दिया गया हो किंतु निर्धारित दिनांक व समय तक आबंटित अध्ययन केन्द्र में अपडेट नहीं कराया गया तो अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र/सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मेरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी।
14. प्रथम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही द्वितीय चरण की काउंसिलिंग का आयोजन किया जावेगा। द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के विषय में समस्त जानकारी वि.वि. की वेबसाइट पर दी जायेगी।

E अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अध्ययन केन्द्र आवटन के पश्चात् काउंसिलिंग के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे :-

बी.एड. हेतु

1. अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसिलिंग हेतु कराये गये ऑनलाईन काउंसिलिंग आवेदन की हार्डकॉपी लाना अनिवार्य है।
  2. वि.वि. द्वारा जारी स्वयं के बी.एड. प्रवेश हेतु आबटित अध्ययन केन्द्र की डाउनलोड की हुई सूची।
  3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्री बी.एड. प्रवेश परीक्षा की अंकसूची। (वि.वि. द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा परिणाम की उस पृष्ठ की डाउनलोड की हुई कॉपी जिसमें संबंधित छात्र के अंक का विवरण हो)
  4. माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
  5. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
  6. स्नातक की अंकसूची - तीनों वर्ष की ( बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग के लिए तथा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पी. डब्ल्यू.डी. वर्ग के लिए मान्य)
  7. सेवारत अध्यापक होने की स्थिति में डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.सी./डी.पी.ई अथवा अध्यापक शिक्षा का एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
- 7.1 यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
8. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) मूल प्रति में प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद जमा कराना होगा।
  9. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
  10. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा जारी विकलांगता/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।
  11. विवाह के पश्चात् नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
  12. अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्र - सतत अध्यापन करते रहने का अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारी अथवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आगामी पृष्ठों में दिया गया है।
  13. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
  14. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र (10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें)
  15. जिन छात्रों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु. 1100/- का बैंक चालान प्रवेश के समय जमा करना होगा।

## डी.एल.एड. हेतु -

1. अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसिलिंग हेतु कराये गये ऑनलाईन काउंसिलिंग आवेदन की हार्डकॉपी लाना अनिवार्य है।
2. वि.वि. द्वारा जारी स्वयं के डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आबटित अध्ययन केन्द्र की डाउनलोड की हुई सूची।
3. माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंक सूची।
4. काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाइन काउंसिलिंग फॉर्म भरना होगा जिसका शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।
5. यदि अभ्यर्थी स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूर्ण किया हो तो प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद जमा कराना होगा।
6. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
7. विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
8. अनुभव प्रमाण पत्र - प्री डी.एल.एड. आवेदन, वर्ष में सतत अध्यापन करते रहने के प्रमाण पत्र के साथ कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।

- ❖ अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र - प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो।
- ❖ यदि वर्तमान में कार्यरत शाला एवं पुराने अनुभव हेतु पूर्व की शाला में परिवर्तन (अंतर) है तो पुराने अनुभव एवं वर्तमान अनुभव हेतु दो अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट: अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये प्रारूप में ही स्वीकार किये जावेंगे।

9. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र (10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें )
10. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ ।
11. जिन छात्रों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- का बैंक चालान प्रवेश शुल्क के साथ प्रवेश के समय जमा करना होगा।



पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,  
बिलासपुर

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

..

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

.....पद पर दिनांक ..... से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....

.....सील -

हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
नाम - .....

सील -

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर कार्टर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र कार्डसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः कार्डसिलिंग के दौरान ही बनवाएँ ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,  
बिलासपुर

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

....पद पर दिनांक ..... से ..... तक कार्य किया है।

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....

.....सील -

हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
नाम - .....

सील -

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,  
बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....  
विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....  
पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....  
.....पद पर दिनांक ..... से ..... तक कार्य किया है।

सील

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएँ ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।
2. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 26 अक्टूबर-2021 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,  
बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....  
पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....  
.....पद पर दिनांक .....से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।
2. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 05 अक्टूबर-2020 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

### आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रावधान

1. आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किये जायेंगे। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
3. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।



बी.एड./ डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
प्रारूप क्रमांक 05 शपथ पत्र का प्रारूप

(10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें )

मैं .....

पिता/पति .....

...

प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक ..... यह  
घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त  
समस्त जानकारी, संलग्न प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति सत्य  
व सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा  
झूठी पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यह  
स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं  
उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि को किसी भी समय निरस्त  
करने एवं मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने  
हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक -

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान -